UPSI010036972026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–674/2026

सी.आई.एस. नं.–1595/2026

रिजवान पुत्र खलील निवासी मोहल्ला कटरा थाना लहरपुर जिला सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

अपराध संख्या–165/2026
धारा–85,123 B.N.S.
थाना–लहरपुर, जिला– सीतापुर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त रिजवान की तरफ से अपराध संख्या 165/2026 अंतर्गत धारा 85, 123 B.N.S., थाना लहरपुर, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मो० सुहेल का शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन किया गया है कि शपथकर्ता उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्त रिजवान का भांजा है। शपथकर्ता के मामा का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा जावेद द्वारा, थाना लहरपुर में, मुख्य रूप से, इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया गया कि प्रार्थी ने अपनी बहन राफिया की रिजवान से शादी की थी। अब प्रार्थी की बहिन को आये दिन नन्द अलीकुन W/O हारून व उसका बहनोई यही दोनों मिलकर मारते पीटते थे और धमकी देते थे कि हम तुम्हें छोड़ देंगे और मेरी बहन अलीकुन कह रही है इसे छोड़ो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। तभी से उसकी बहन पर अत्याचार करने लगे और जान से मारने की कोशिश कई दिनों से कर रहे थे। लेकिन मारने को मौका नहीं मिल रहा था। रात 11 बजे उसकी बहन को उपरोक्त लोगों ने जबरन जहर पिला दिया और उसकी बहन मरते–मरते बची है। उसकी बहन के 5 बच्चे भी है तब भी उपरोक्त लोग मार डालना चाहते थे।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
सीतापुर।

4– वादी मुकदमा के उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर थाना लहरपुर में, रिजवान एवं अलीकुन के विरूद्ध, मु०अ०सं० 165/2026, धारा 85, 123 बी०एन०एस० में, अभियोग पंजीकृत किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने कभी भी दहेज की माँग नहीं की तथा दहेज को लेकर जहर नहीं पिलाया। प्रार्थी की पत्नी रिजवान के साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह लखनू में अलग रहना ज्यादा पसन्द करती थी। वह मायके जाना चाहती थी। प्रार्थी ने मना किया तो उसने हारपिक पी लिया। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

7– मैंने दोनों पक्षों को सुना तथा अपराध संख्या 165/2026 की केस डायरी व अन्य संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8– प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं केस डायरी के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की बहन को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं उसे हार्पिक पिलाकर मार डालने का प्रयास करने आदि का आरोप है। केस डायरी के अनुसार, पुलिस के द्वारा, मुखबिर की सूचना पर, मजाशाह चौराहे के पास से, रिजवान को पकड़ा गया था। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया है कि अभियुक्त की शादी को 14 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुके हैं, इससे पूर्व कभी भी अतिरिक्त दहेज की माँग करने या शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने सम्बन्धी कोई भी रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज कराई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध है।

9– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रिजवान का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपराध संख्या 165/2026 अंतर्गत धारा 85,123 B.N.S., थाना लहरपुर, जिला सीतापुर में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
सीतापुर।

2. प्रार्थी/अभियुक्त, अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं बनायेगा तथा मुकदमे के परीक्षण में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. जब तक कि प्रार्थी/अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ न किया जाये, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
4. इस दौरान प्रार्थी/अभियुक्त किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

दिनांक–17.06.2026

प्रभारी
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
सीतापुर।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
सीतापुर।

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.17 14:16:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur